This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 08 अप्रैल, 2024 / 19 चैत्र, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला–2 04 मार्च, 2024

संख्या : गृह–ए–बी02 / 3 / 2023–गृह–ए–हिमाचल प्रदेश सचिवालय.––हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबल की भर्ती) (संशोधन) नियम, 2024 के प्रारूप को इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना,

तारीख 04—03—2024 द्वारा, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007(2007 का अधिनियम संख्यांक 17) की धारा 23 के साथ पठित धारा 141 की उप—धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार जनसाधारण से आक्षेपों और सुझावों को आमंत्रित करने के लिए, 06—03—2024 को राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था;

और इस निमित्त प्राप्त हुए आक्षेप (आक्षेपों) और सुझाव (सुझावों) पर सम्यक् रूप से विचार किया गया और उन्हें अस्वीकृत किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17) की धारा 23 के साथ पठित धारा 141 की उप—धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या गृह—ए—बी02 / 3 / 2023—गृह—ए—हिमाचल प्रदेश सचिवालय तारीखः 29—01—2024 द्वारा अधिसूचित और तारीख 30—01—2024 को राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबल की भर्ती) नियम, 2024 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :——

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—— (1) इन नियमों का नाम हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबल की भर्ती) (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **नियम 7 का संशोधन.**——हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबल की भर्ती) नियम, 2024 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 7 के उप—नियम 2 के पश्चात् 2 (क) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः——

"2 (क) खेल कोटा की रिक्तियों के लिए अध्यपेक्षा को पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश द्वारा निदेशक, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग को नाम प्रायोजित करने के लिए भेजा जाएगा। अध्यपेक्षा में प्रत्येक जिला के लिए पदों की संख्या विनिर्दिष्ट की जाएगी और नामों को तद्नुसार प्रायोजित किया जाएगा।"

3. **नियम 8 का संशोधन.**——उक्त नियमों के नियम 8(1) के पश्चात् में निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगाः——

"टिप्पणीः सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिन को की जाएगी जिसमें पदों को आवेदन आमंत्रित करने के लिए यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।"

4. **नियम 10 का संशोधन.**——उक्त नियमों के नियम 10 के उप—नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः——

"(5)पुलिस विभाग द्वारा कांस्टेबलों की भर्ती के दौरान शारीरिक दक्षता परीक्षण के आरम्भ में मादक पदार्थों के सेवन का पता लगाने हेतु डोप टेस्ट परीक्षण किया जा सकेगा।"

5. **नियम 11 का संशोधन.**——उक्त नियमों के नियम 11 के विद्यमान उपबन्धों के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा अर्थातः——

"भर्ती / चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः——

(1) शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण पुलिस विभाग द्वारा किया जाएगा

(2) कांस्टेबल पद के लिए पात्रता और एन0सी0सी0 प्रमाण पत्रों के लिए अंक प्रदान करने से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों की जांच पुलिस विभाग द्वारा की जाएगी।"

6. **नियम 14 का संशोधन.**——उक्त नियमों के नियम 14 के उप–नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:——

"(1) चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण की प्रक्रिया पुलिस विभाग द्वारा पूर्ण की जाएगी।"

7. **नियम 15 का संशोधन.**——उक्त नियमों के नियम 15 के उप–नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:——

"(1) चयनित अभ्यर्थी जो अस्थायी रुप से चयनित किए गए हैं, के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन सम्बद्ध जिला पुलिस के माध्यम से पुलिस विभाग द्वारा किया जाएगा, किंतु ऐसे सत्यापन के लंबित होने के कारण नियुक्ति पत्रों के जारी किए जाने की प्रक्रिया को रोका नहीं जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थी से सम्यक् रूप से भरे गए और हस्ताक्षरित सत्यापित प्रपत्र अभिप्राप्त करने और स्व–घोषणा करने के पश्चात् अस्थायी नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी किसी विधि के न्यायालय से दोषसिद्ध पाया जाता है तो ऐसे आवेदक / अभ्यर्थी को अपराध की प्रकृति और सजा की अवधि पर विचार किए बिना नियुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी।

आदेश द्वारा,

ओंकार चंद शर्मा,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)।

——————

[Authoritative English Text of this Department Notification No. HOME-A-B02/3/2023-HOME-A-Himachal Pradesh Secretariat dated 04-04-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th April, 2024

No. HOME-A-B02/3/2023-HOME-A-Himachal Pradesh Secretariat.—Whereas, the draft Himachal Pradesh Police Department (Recruitment of Constables) (Amendment) Rules, 2024 were published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh dated 06-03-2024 for inviting objection(s) and suggestion(s) from general public *vide* this Department's Notification of even number dated 04-03-2024 as required under sub-section(1) of Section 141 read with Section 23 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007(Act No. 17 of 2007);

And whereas, objection(s) and suggestion(s) so received in this behalf have been duly considered and rejected;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 141 read with Section 23 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007(Act No. 17 of 2007), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Police Department (Recruitment of Constables) Rules, 2024 Notified *vide* this Department's

Notification No. HOME-A-B02/3/2023-HOME-A-Himachal Pradesh Secretariat, dated 29-01-2024 and published in Rajpatra, Himachal Pradesh dated 30-01-2024, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh (Recruitment of Constables) (Amendment) Rules, 2024.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. **Amendment of rule-7.**—In rule 7 of the Himachal Pradesh Police Department (Recruitment of Constables) Rules, 2024 (hereinafter referred to as the said rule), after sub-rule (2), the following new clause shall be inserted, namely:—

"2(a) The requisition for vacancies of Sports Quota shall be sent by the Director General of Police, Himachal Pradesh to the Director, Youth Services & Sports Department to sponsor names. The requisition shall specify the number of posts for each District and the names will be sponsored accordingly. "

3. **Amendment of rule-8.**—In rule 8 of said rule, after sub-rule (1) the following shall be inserted, namely:—

"Note: Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be."

4. **Amendment of rule-10.**—In rule 10 of the said rule, the sub-rule(5) shall be substituted, namely:—

"(5) The dope test may be carried out by the Police department to detect narcotics opiates at the outset of Physical Efficiency Test during the recruitment of Constables."

5. **Amendment of rule-11.**—In rule 11 of said rule, after the existing provision, the following shall be inserted, namely:—

"The process of recruitment/selection will be as under:—

(1) The Physical Standard Test & Physical Efficiency Test shall be carried out by the Police Department.
(2) The scrutiny of all documents related to eligibility for the post of Constables and award of marks for NCC certificates shall be made by the Police Department."

6. **Amendment of rule-14.**—In rule 14 of said rule, for the sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:—

"The process of medical examination of selected candidates shall be completed by the Police Department."

7. **Amendment of rule-15.**—In rule 15 of said rule, for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:—

"The verification of character and antecedents of the selected candidate who have been selected provisionally will be carried out by the Police Department through concerned

district police but the process for issuance of appointment letters will not be withheld due to pendency of such verification. The appointing authorities will issue provisional appointment letters after obtaining the filled and duly signed attestation form and self declaration from the candidate. In case, a candidate is found to have been convicted in a court of law, the applicant/ candidate shall not be offered appointment irrespective of the nature of the offense and the period of sentence."

By order,

ONKAR CHAND SHARMA,
Additional Chief Secretary (Home).

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 4th March, 2024

No. TCP-F(5)-4/2002-Loose.—In supersession of this Department's Notification No. TCP-F(5)-11/2003 dated 27th February, 2005 and subsequent Notification(s), the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 67 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), is pleased to constitute Special Area Development Authority for Naggar Special Area consisting of following, with immediate effect:—

Sl. No.	Name	Designation
1.	Hon'ble MLA Manali	*Chairman*
2.	Block Senior Medical Officer, Manali	*Member*
3.	Deputy General Manager, HPTDC, Manali	*Member*
4.	Executive Engineer, HPSEBL, Kullu	*Member*
5.	Executive Engineer, HPPWD, Kullu/Manali	*Member*
6.	Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Manali	
7.	Assistant Engineer, HP Pollution Control Board, Kullu	*Member*
8.	Block Development Officer, Naggar	*Member*
9.	Divisional Forest Officer, Kullu	*Member*
10.	Pradhan Gram Panchayat, Naggar, Distt. Kullu	*Member*
11.	Assistant Town and Country Planner, DTPO, Kullu	*Member Secretary*

By order,
DEVESH KUMAR,
Principal Secretary (TCP).

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 4th March, 2024

No. TCP-F(5)-9/2002-Loose.—In supersession of this Department's Notification of even number dated 17-08-2002, 02-09-2014 and subsequent Notifications issued, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 67 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), is pleased to constitute Special Area Development Authority for Manikaran Special Area, District Kullu consisting of following, with immediate effect :—

Sl. No.	Name	Designation
1.	Hon'ble MLA, Kullu	*Chairman*
2.	Chairman, Zilla Parishad, Kullu	*Member*
3.	Chairman, Panchayat Samiti, Kullu	*Member*
4.	Sub-Divisional Officer (Civil), Kullu	*Member*
5.	Deputy Superintendent of Police, Kullu/Manali.	*Member*
6.	Divisional Forest Officer, Kullu	*Member*
7.	District Tourism Officer, Kullu, Distt. Kullu	*Member*
8.	Block Development Officer, Bhunter	*Member*
9.	Executive Engineer, HPPWD, Kullu	*Member*
10.	Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Kullu	*Member*
11.	Executive Engineer, HPSEBL, Kullu	*Member*
12.	Assistant Environmental Engineer, Concerned, HP Pollution Control Board.	*Member*
13.	Pradhan Gram Panchayat, Manikaran, Kullu	*Member*
14.	Pradhan Gram Panchayat, Kasol, Kullu	*Member*
15.	Prabhandhak Ram Mandir, Manikaran	*Member*
16.	Prabhandhak Gurudwara Committee, Manikaran.	*Member*
17.	Chairman, Manikaran Valley Hotel Association.	*Member*
18.	Town and Country Planner, Kullu	*Member Secretary*

By order,

DEVESH KUMAR,
Principal Secretary (TCP).

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 02 मार्च, 2024

संख्याः टी0सी0पी0–एफ05 / 5 / 2023.––हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उप–धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन अधिसूचना संख्या टी0सी0पी0–एफ / 05 / 05 / 2023, तारीख 02–03–2024 द्वारा ''हाटकोटी विशेष क्षेत्र'' में कुछ क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं और उनकी सीमाओं को पुनः परिनिश्चित कर लिया गया है;

और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 की उप–धारा (1) के अधीन अभी तक उक्त विशेष क्षेत्र में नए सम्मिलित किए गए क्षेत्रों के विद्यमान भू–उपयोग को प्रकाशित नहीं किया गया है;

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि विशेष क्षेत्र के उपरोक्त नए सम्मिलित किए गए क्षेत्रों में भू–उपयोग में परिवर्तन या उस पर किसी निर्माण संक्रिया से सतह या किसी भूमि या मिट्टी पर हानिकारक अवरोध होने की सम्भावना है या मिट्टी के परिरक्षण, भूमि के खिसकने से रोकथाम करने या भूमि–कटाव से संरक्षण हेतु हानिकारक समझा गया है और पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रश्नगत क्षेत्रों की योजना बनाना और उनका विकास करना कठिन होने की सम्भावना है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 197, (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 15–क की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ''हाटकोटी विशेष क्षेत्र'' में नए सम्मिलित किए गए क्षेत्रों के विद्यमान भू–उपयोग को, इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाते हैं।

आदेश द्वारा,

देवेश कुमार,
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

———————

[Authoritative English text of this Department Notification No. TCP-F05/5/2023, Dated 02-03-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 2nd March, 2024

No. TCP-F05/5/2023.—Whereas some areas have been included in the **Hatkoti Special Area** and its limits have been re-defined under clause (a) of sub-section (3) of Section-66 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) *vide* Notification No. TCP-F05/5/2023, dated 02-03-2024.

And whereas existing landuse of the newly included areas of the said Special Area has not yet been published under sub-section (1) of Section-15 of the act *ibid.*

And whereas the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid newly included areas of the Special Area, the change of landuse or any building operation therein is likely

to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of the soil, prevention of land slips or protection against erosion and is likely to make it difficult to plan and develop the areas in question in accordance with the provisions of the aforesaid Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the existing landuse of the newly included areas of the **Hatkoti Special Area** from the date of the publication of this notification in the Official Gazette of Himachal Pradesh for a period of five years.

By order,

DEVESH KUMAR,
Principal Secretary (TCP).

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 02 मार्च, 2024

संख्याः टी0सी0पी0–एफ05/5/2023.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 66 की उप–धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शासकीय अधिसूचना संख्या टीसीपी–एफ(6)–20/94, दिनांक 03–08–1994 द्वारा अधिसूचित ''हाटकोटी विशेष क्षेत्र'' में निम्नलिखित राजस्व गांवों को सम्मिलित करते हैं, अर्थात्:——

विनिर्देष

क्र0सं0	राजस्व गांव महाल/ उप महाल का नाम	हदबस्त संख्या	विवरण (विभाजित/सम्मिलित खसरा नं0)	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या
1.	सरस्वतीनगर (भागतः)	62/4	खसरा नं0 469-479, 482-487, 503-508, 510-511, 1196-1222, 1226, 1249, 1257-1258, 1287-1359, 1362-1369, 1371-1541 and 1543-1720.	50.33	1636
2.	चन्द्रपुर (भागतः)	62/3	खसरा नं0 355-362, 372-396, 426-470, 474 and 495.	10.34	353
3.	विराट नगर (भागतः)	59/3	खसरा नं0 12-23, 70-105, 109-229, 232-233, 236-241, 250, 352, 365-370 और 376-529.	45.96	107
4.	तन्दाली (भागतः)	109	खसरा नं0 6-7, 15-30, 113, 120-124, 132, 134-138, 146-151, 153-240, 387, 399-434, 438-440, 444-482, 484-592, 603-619, 625, 1241-1313,	35.71	289

			1316-1371, 1417-1419, 1421-1432 और 1490-1512.		
5.	बन्छुना (भागतः)	108	खसरा नं0 753, 761, 767-768, 770-788, 792-799, 1219-1286, 1298-1306, 1559-1562, 1609-1610/1, 1618-1626, 1630-1646, 1649-1828, 1830-1845, 1970 और 2117-2125.	57.69	470
6.	पटसारी (भागतः)	59/2	खसरा नं0 1-139, 169-182, 201-466, 468, 608, 619-638, 642/1-663, 673, 680-684, 686-715, 738-775, 788-808 और 810-828.	43.50	277
7.	मटासा (भागतः)	58/3	खसरा नं0 41, 67-92 और 95	0.85	444
		कुल. .		**244.38**	**3576**

उपरोक्त राजस्व महालों को शामिल करने के परिणामस्वरूप, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल "हाटकोटी विशेष क्षेत्र" की सीमाओं को निम्मलिखित विनिर्देशों के अनुसार पुनः परिनिश्चित् करते हैं :—

विनिर्देष

उत्तरः— राजस्व महाल बंचुना की सीमा फेली खुद के पास से आरम्भ होकर पुब्बर नदी की ओर महाल तंदली की सीमा तक। इसके बाद मोहल पटसारी की बाहरी सीमा हाटकोटी विशेष क्षेत्र की पुरानी सीमा तक।

पूर्वः— उपमहाल पटसारी से आरम्भ होकर उप—महाल विराट नगर की बाहरी सीमा तक राजस्व महाल हाटकोटी (हाटकोटी की पुरानी विशेष क्षेत्र सीमा) की बाहरी सीमा तक की सीमा।

दक्षिणः—भिस्काल्टी खड्ड से आरम्भ होकर राजस्व उप—महाल विराट नगर की बाहरी सीमा से राजस्व महाल हाटकोटी (पुराना विशेष क्षेत्र) तक की सीमा।

पश्चिमः—राजस्व महाल मतसा की बाहरी सीमा से आरम्भ होकर राजस्व महाल पटसारी की सीमा तक। फिर राजस्व उप महाल तंदाली की बाहरी सीमा से आरम्भ होकर राजस्व महाल बंचूना की सीमा तक मेहंदली के पास फेली खड्ड तक।

कुल राजस्व महाल जिन पर हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) के उपबंध प्रवृत्त होंगे, अब इस प्रकार है :——

क्र0सं0	राजस्व गांव महाल/ उप—महाल का नाम	हदबस्त संख्या	विवरण (विभाजित / सम्मिलित खसरा नं0)	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (जनगणना, 2011 के अनुसार)
1.	सरस्वतीनगर (भागतः)	62/4	खसरा नं0 469-479, 482-487, 503-508, 510-511, 1196-1222, 1226, 1249, 1257-1258, 1287-1359, 1362-1369, 1371-1541 और 1543-1720.	50.33	1636
2.	चन्द्रपुर (भागतः)	62/3	खसरा नं0 355-362, 372-396, 426-470, 474 और 495.	10.34	353
3.	विराट नगर (भागतः)	59/3	खसरा नं0 12-23, 70-105, 109-229, 232-233, 236-241, 250, 352, 365-370 और 376-529.	45.96	107
	तन्दाली	109	खसरा नं0 6-7, 15-30, 113, 120-124, 132, 134-138,	35.71	289

4.	(भागतः)		146-151, 153-240, 387, 399-434, 438-440, 444-482, 484-592, 603-619, 625, 1241-1313, 1316-1371, 1417-1419, 1421-1432 और 1490-1512.		
5.	बन्छुना (भागतः)	108	खसरा नं० 753, 761, 767-768, 770-788, 792-799, 1219-1286, 1298-1306, 1559-1562, 1609-1610/1, 1618-1626. 1630-1646, 1649-1828, 1830-1845, 1970 और 2117-2125.	57.69	470
6.	पटसारी (भागतः)	59/2	खसरा नं० 1-139, 169-182, 201-466, 468, 608, 619-638, 642/1-663, 673, 680-684, 686-715, 738-775, 788-808 और 810-828.	43.50	277
7	मटासा (भागतः)	58/3	खसरा नं० 41, 67-92 और 95.	0.85	444
8	हाटकोटी	60	संपूर्ण राजस्व महाल	69.00	285
		कुल. .		**313.38**	**3861**

आदेश द्वारा,

देवेश कुमार,
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. TCP-F05/5/2023, Dated 02-03-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 2nd March, 2024

No. TCP-F05/5/2023.—In exercise of the powers conferred by clause (a) sub-section (3) of Section 66 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to include the following revenue Mohals in the **Hatkoti Special Area** notified *vide* Government Notification No. TCP-F(6)-20/94, dated 03-08-1994, namely:—

Sl. No.	Name of Revenue Mohal/ Up Mohal	Hadbast No.	Description (Bifurcating/Including Khasra Nos.)	Area in Hectares	Population
1.	Saraswati Nagar	62/4	Khasra Nos. 469-479, 482-487, 503-508, 510-511, 1196-1222, 1226,	50.33	1636

	(Partly)		1249, 1257-1258, 1287-1359, 1362-1369, 1371-1541 and 1543-1720.		
2.	Chanderpur (Partly)	62/3	Khasra Nos. 355-362, 372-396, 426-470, 474 and 495.	10.34	353
3.	Virat Nagar (Partly)	59/3	Khasra Nos. 12-23, 70-105, 109-229, 232-233, 236-241, 250, 352, 365-370 and 376-529.	45.96	107
4.	Tandali (Partly)	109	Khasra Nos. 6-7, 15-30, 113, 120-124, 132, 134-138, 146-151, 153-240, 387, 399-434, 438-440, 444-482, 484-592, 603-619, 625, 1241-1313, 1316-1371, 1417-1419, 1421-1432 and 1490-1512.	35.71	289
5.	Banchuna (Partly)	108	Khasra Nos. 753, 761, 767-768, 770-788, 792-799, 1219-1286, 1298-1306, 1559-1562, 1609-1610/1, 1618-1626. 1630-1646, 1649-1828, 1830-1845, 1970 and 2117-2125.	57.69	470
6.	Patsari (Partly)	59/2	Khasra Nos. 1-139, 169-182, 201-466, 468, 608, 619-638, 642/1-663, 673, 680-684, 686-715, 738-775, 788-808 and 810-828.	43.50	277
7.	Matasa (Partly)	58/3	Khasra Nos. 41, 67-92 and 95.	0.85	444
-	**Total**			**244.38**	**3576**

Consequent upon inclusion of above revenue Mohals, the Governor of Himachal Pradesh is further pleased to re-define the limits of Hatkoti Special Area as per specifications given below:—

SPECIFICATIONS

North.—Starting from the boundary of Revenue Mohal Banchuna near Feli Khud towards river Pubber upto the boundary of Mohal Tandali. Thereafter, outer boundary of Mohal Patsari upto old boundary of Hatkoti Special Area.

East.— The boundary starting from the Upmohal Patsari upto the outer boundary of Upmohal Virat Nagar to the outer boundary of Revenue Mohal Hatkoti (Old Special Area boundary of Hatkoti).

South.—The boundary starting from Bhiskhalti Khud to the outer boundary of Revenue Upmohal Virat Nagar upto Revenue Mohal Hatkoti (Old Special Area).

West.— Starting from the outer boundary of Revenue Mohal Matasa and leading to the boundary of Revenue Mohal Patsari. Then starting from the outer boundary of Revenue Upmohal Tandali upto the boundary of Revenue Mohal Banchuna upto the Feli Khud near Mehandli.

The total Revenue Mohals over which provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) are enforced shall, now be as follows:—

Sl. No.	Name of Revenue Mohal/ Up Mohal	Hadbast No.	Description (Bifurcating/Including Khasra Nos.)	Area in Hectares	Population
1.	Saraswati Nagar (Partly)	62/4	Khasra Nos. 469-479, 482-487, 503-508, 510-511, 1196-1222, 1226, 1249, 1257-1258, 1287-1359, 1362-1369, 1371-1541 and 1543-1720.	50.33	1636
2.	Chanderpur (Partly)	62/3	Khasra Nos. 355-362, 372-396, 426-470, 474 and 495.	10.34	353
3.	Virat Nagar (Partly)	59/3	Khasra Nos. 12-23, 70-105, 109-229, 232-233, 236-241, 250, 352, 365-370 and 376-529.	45.96	107
4.	Tandali (Partly)	109	Khasra Nos. 6-7, 15-30, 113, 120-124, 132, 134-138, 146-151, 153-240, 387, 399-434, 438-440, 444-482, 484-592, 603-619, 625, 1241-1313, 1316-1371, 1417-1419, 1421-1432 and 1490-1512.	35.71	289
5.	Banchuna (Partly)	108	Khasra Nos. 753, 761, 767-768, 770-788, 792-799, 1219-1286, 1298-1306, 1559-1562, 1609-1610/1, 1618-1626. 1630-1646, 1649-1828, 1830-1845, 1970 and 2117-2125.	57.69	470
6.	Patsari (Partly)	59/2	Khasra Nos. 1-139, 169-182, 201-466, 468, 608, 619-638, 642/1-663, 673, 680-684, 686-715, 738-775, 788-808 and 810-828.	43.50	277
7.	Matasa (Partly)	58/3	Khasra Nos. 41, 67-92 and 95.	0.85	444
8.	Hatkoti	60	Complete Revenue Mohal.	69.00	285
Total				**313.38**	**3861**

By order,

DEVESH KUMAR,
Principal Secretary (TCP).

ब अदालत श्री प्रिंस धीमान, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नम्बर : 08 तारीख मरजुआ : 15—03—2024 तारीख पेशी : 09—04—2024

श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री डूमना राम, निवासी कोंसल, डाकघर बस्सी, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ..प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता प्रत्यार्थी।

विषय.——आवेदन—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री डूमना राम, निवासी कोंसल, डाकघर बस्सी, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय / न्यायालय में आवेदन पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि प्रार्थिया का जन्म दिनांक 06—06—1964 को हुआ है। परन्तु प्रार्थिया की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत मसौली के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं हुआ है। अतः प्रार्थिया ने उसकी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत मसौली के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करने की प्रार्थना की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे में किसी व्यक्ति को कोई उजर / एतराज हो तो दिनांक 09—04—2024 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय / न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर / एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता, तो इस न्यायालय में प्रतिवादी के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 15—03—2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
(प्रिंस धीमान),
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल जन्म पंजीकरण नं0 : 09 तारीख दायर : 18—03—2024 तारीख पेशी : 12—04—2024

श्री राजकुमार पुत्र श्री जगत राम, निवासी गांव भदेहड, डाकघर कुज्जाबल्ह, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ̈ प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ̈ प्रत्यार्थी।

जेर धारा 13(3)जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन—पत्र।

श्री राजकुमार पुत्र श्री जगत राम, निवासी गांव भदेहड, डाकघर कुज्जाबल्ह, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) के आवेदन पर कार्रवाई करने के उपरान्त अति0 जिला रजिस्ट्रार (जन्म व मृत्यु) एवं चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी से उनके कार्यालय के पत्र संख्या HFW-MND (Delayed Birth & Death) 2024/-4295, दिनांक 13–03–2024 द्वारा राजकुमार का विलम्बित जन्म पंजीकरण मामला समस्त औपचारिकताओं सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें श्री राजकुमार पुत्र श्री जगत राम, निवासी गांव भदेहड, डाकघर कुज्जाबल्ह, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) की जन्म तिथि 17–02–1972 को होने की पुष्टि करते हुए जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 अनुमति प्रदान करते हुए निर्देश दिए हैं कि मामला में उक्त अधिनियम में निहित शर्तों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् ही सम्बन्धित इकाई (ग्राम पंचायत कून) को परिवार रजिस्टर व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि की प्रविष्टी करने हेतु भेजा जाए।

अतः इससे पूर्व कि मामला आगामी आवश्यक कार्रवाही अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 12–04–2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18–03–2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

In the Court of Marriage Officer-cum**-Sub-Divisional Magistrate, Balh, District Mandi (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Manu Kumar s/o Sh. Mangat Ram, r/o Village Darbathu, P.O. Lohara, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.).

2. Smt. Neha d/o Sh. Rajesh Kumar, r/o Village Dauhandi, P.O. Nagchala, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) at present wife of Sh. Manu Kumar s/o Sh. Mangat Ram, r/o Village Darbathu, P.O. Lohara, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.).

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Manu Kumar s/o Sh. Mangat Ram, r/o Village Darbathu, P.O. Lohara, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.) and Smt. Neha d/o Sh. Rajesh Kumar, r/o Village Dauhandi, P.O. Nagchala, Tehsil, Balh, District Mandi (H.P.) at present wife of Sh. Manu Kumar s/o Sh. Mangat Ram, r/o Village Darbathu, P.O. Lohara, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 07-01-2023 according to Hindu rites and customs at Village Darbathu, P.O. Lohara, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) and they are

living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person, who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 18-04-2024. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 18th March, 2024 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Balh, District Mandi (H.P.).

In the Court of Marriage Officer-cum-**Sub-Divisional Magistrate, Balh, District Mandi (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Rakesh Kumar s/o Sh. Sant Ram, r/o Village & P.O. Behna, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.).

2. Smt. Chandni d/o Sh. Devi Ram, r/o Village Bayala, P.O. Bayala, Tehsil Sunder Nagar, District Mandi (H.P.) at present wife of Sh. Rakesh Kumar s/o Sh. Sant Ram, r/o Village & P.O. Behna, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.).

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Rakesh Kumar s/o Sh. Sant Ram, r/o Village & P.O. Behna, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.). and Smt. Chandni d/o Sh. Devi Ram, r/o Village Bayala, P.O. Bayala, Tehsil Sunder Nagar, District Mandi (H.P.) at present wife of Sh. Rakesh Kumar s/o Sh. Sant Ram, r/o Village & P.O. Behna, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 23-09-2023 according to Hindu rites and customs at Village & P.O. Behna, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person, who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 18-04-2024. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 18th March, 2024 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Balh, District Mandi (H.P.).

In the Court of Marriage Officer-cum-**Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar, District Mandi (H. P.)**

In the matter of :

1. Sh. Nand Lal s/o Sh. Tulsi Ram, r/o V.P.O. Churadh, Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.) (age-53 Years).

2. Nirmla Devi d/o Sh. Nand Lal, r/o Village Bayla, P.O. Bayla, Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.) at present wife of Sh. Nand Lal s/o Sh. Tulsi Ram, r/o V.P.O. Churadh, Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.) . . *Applicants.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Application for the registration of marriage u/s 15 of Special Marriage Act.

Notice :

Nand Lal and Nirmla Devi applicants have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage according to Hindu rites and ceremonies on dated 11-01-1989 and they are living together as husband and wife since then, hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 19-04-2024 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 18-03-2024 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Sundernagar, District Mandi (H.P.).

In the Court of Marriage Officer-cum**-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar, District Mandi (H. P.)**

In the matter of :

1. Sh. Naresh Kumar s/o Sh. Durga Singh, r/o H. No. 132/7, Village Banaik, P.O. Bhojpur, Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.) (Age-59 years).

2. Smt. Sudesh Kumari d/o Sh. Om Parkash, r/o Village Dulehar, P.O. Dulehar, Tehsil Haroli, District Una, (H.P.) at present wife of Sh. Naresh Kumar s/o Sh. Durga Singh, r/o H. No. 132/7, Village Banaik, P.O. Bhojpur, Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.) (Age-59 years)

. . *Applicants.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Application for the registration of marriage u/s 15 of Special Marriage Act.

Notice :

Naresh Kumar and Sundesh Kumari applicants have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage according to Hindu rites and ceremonies on dated 02-02-1989 and they are living together as husband and wife since then, hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 20-04-2024 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 03-04-2024 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Sundernagar, District Mandi (H.P.).

समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : 124 / 2024 तारीख मरजुआ : 18—03—2024 तारीख पेशी : 19—04—2024

अनिल ठाकुर पुत्र श्री भुपेन्द्र सिंह पुत्र श्री उदमी, निवासी गांव सान्ढा, डाकघर उटपुर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. फरीकदोयम।

दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

उपरोक्त उनवान वाला मुकद्दमा में प्रार्थी श्री अनिल ठाकुर पुत्र श्री भुपेन्द्र सिंह पुत्र श्री उदमी, निवासी गांव सान्ढा, डाकघर उटपुर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में दिनांक 18–03–2024 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम अनिल ठाकुर है। परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल सान्ढा में अनिल दर्ज हो चुका है। जो कि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में अपना अबाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्व घोषणा पत्र, आधार कार्ड, परिवार नकल भाग–1 व शिक्षा प्रमाण–पत्र साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती करने बारे आवेदन किया है।

अतः इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल सान्ढा में प्रार्थी का नाम अनिल के स्थान पर अनिल उपनाम अनिल ठाकुर पुत्र श्री भुपेन्द्र सिंह पुत्र श्री उदमी, निवासी गांव सान्ढा, डाकघर उटपुर, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 19–04–2024 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 18–03–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

——————

ब अदालत श्री रूप लाल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांगणा, उप–तहसील पांगणा, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

पुरबू पत्नी जय नंद, निवासी महाल भूण्डल, डा0 कुटाहची, उप–तहसील पांगणा, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—– नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना–पत्र।

यह प्रार्थना–पत्र पुरबू पत्नी जय नंद, निवासी महाल भूण्डल, डा0 कुटाहची, उप तहसील पांगणा, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने हेतु किया है जिसमें प्राथिया का नाम

पार्वती है परन्तु अन्य सभी दस्तावेजों में प्रार्थिया का नाम पुरबू है जिसे वह दुरुस्त करना चाहती है। प्रार्थिया ने प्रार्थना–पत्र के साथ आधार कार्ड, परिवार नकल शपथ पत्र, नकल जमाबंदी महाल भूण्डल साथ संलग्न किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के नाम को दुरुस्त कराने में कोई उजर व एतराज है तो वह मिति 22–04–2024 तक प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप से पेश करे अन्यथा प्रार्थिया का नाम पुरबू उर्फ पार्वती करने बारा आदेश इस न्यायालय द्वारा पारित कर दिए जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 21–03–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी पांगणा,
उप–तहसील पांगणा, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी) धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : 11 / 2024   तारीख मरजुआ : 11–03–2024   तारीख पेशी : 24–04–2024

श्री भागमल उपनाम राजकुमार पुत्र मसदी, निवासी बाहलड़ा, डा0 कोट, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र कागजात माल में नाम दुरुस्ती बारे।

आदेश

श्री भागमल उपनाम राजकुमार पुत्र मसदी, निवासी बाहलड़ा, डा0 कोट, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश किया है कि उसका सही नाम मुताबिक परिवार नकल, आधार कार्ड व संलग्न शपथ–पत्र के अनुसार भागमल उपनाम राजकुमार है। परन्तु राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम भागमल दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि महाल बाहलड़ा, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के राजस्व अभिलेख में उसका नाम भागमल उपनाम राजकुमार दर्ज करने के आदेश पारित किये जाएं।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर / एतराज हो तो दिनांक 24–04–2024 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक तौर पर पेश कर सकता है। गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13—03—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी),
धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

—————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी) धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : 03 / 2024 तारीख मरजुआ : 09—01—2024 तारीख पेशी : 24—04—2024

श्री बबल सिंह पुत्र ठाकर, निवासी खडून, डा0 सिद्धपुर, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र कागजात माल में नाम दुरुस्ती बारे।

आदेश

श्री बबल सिंह पुत्र ठाकर, निवासी खडून, डा0 सिद्धपुर, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि उसका सही नाम मुताबिक परिवार नकल, आधार कार्ड व स्कूल प्रमाण—पत्र के अनुसार बबल सिंह है। परन्तु राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम पवन सिंह दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि महाल खडून, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के राजस्व अभिलेख में उसका नाम बबल सिंह दर्ज करने के आदेश पारित किये जाएं।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर / एतराज हो तो दिनांक 24—04—2024 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक तौर पर पेश कर सकता है। गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20—03—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी),
धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

—————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी) धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : 04 / 2024 तारीख मरजुआ : 19—01—2024 तारीख पेशी : 24—04—2024

श्री राम गोपाल पुत्र स्व0 मनी राम, निवासी समौड़, डा0 समौड़, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र कागजात माल में नाम दुरुस्ती बारे।

आदेश

श्री राम गोपाल पुत्र स्व0 मनी राम, निवासी समौड़, डा0 समौड़ सिद्धपुर, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश किया है कि उसके पिता का सही नाम मुताबिक परिवार नकल व संलग्न शपथ–पत्र के अनुसार मनी राम है। परन्तु राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम त्रहडू दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि महाल समौड़, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के राजस्व अभिलेख में उसके पिता का सही नाम मनी राम दर्ज करने के आदेश पारित किये जाएं।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो दिनांक 24–04–2024 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक तौर पर पेश कर सकता है। गैर हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20–03–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी),
धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

———————

समक्ष नायब तहसीलदार एवम सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, लड़–भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 25–04–2024

श्री संजीव भारद्वाज पुत्र श्री धनी राम पुत्र श्री लैहणू, निवासी गांव पीहड़ बेहढलू, डाकघर बसौना, तहसील लड़–भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम।

दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

श्री संजीव भारद्वाज पुत्र श्री धनी राम पुत्र श्री लैहणू, निवासी गांव पीहड़ बेहढलू, डाकघर बसौना, तहसील लड़–भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने अदालत में दिनांक 21–03–2024 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम संजीव भारद्वाज है, परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल पीहड़ बेहढलू व महाल बाहर्डू में संजीव कुमार दर्ज हो चुका है, जो कि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में आवाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्व घोषणा पत्र, परिवार नकल व निर्वाचन पहचान पत्र साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल पीहड़ बेहढलू व महाल बाहडू में प्रार्थी का नमा संजीव कुयमर के स्थान पर संजीव कुमार उपनाम संजीव भारद्वाज पुत्र श्री धनी राम पुत्र श्री लैहणू, निवासी गांव पीहड़ बेहढलू, डाकघर बसौना, तहसील लड़–भड़ोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के नाम दुरुस्ती करने बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 25–04–2024 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नमा दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

इस इश्तहार आज दिनांक 21–03–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
लड़–भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

————————

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar, District Mandi (H.P.)

In the matter of :

1. Sh. Ankush Sharma s/o Sh. Ganesh Dutt, who is working as a Store manager UCB Store, ESS GEE Trendz Retail Pvt. Ltd. At 11/8, Sahib Complex Mandi Town, current address is H.No. 313/10, Thanehra Mohalla, Mandi and permanent address Ward No. 1, V.P.O. Bharwain, Teh. Amb, District Una (H. P.).

2. Smt. Alisha d/o Sh. Mohammad Nisar, r/o H. No. 158/3, Jail Road Mandi Town, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H. P.) ..*Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Ankush Sharma s/o Sh. Ganesh Dutt, who is working as a Store manager UCB Store, ESS GEE Trendz Retail Pvt. Ltd. At 11/8, Sahib Complex Mandi Town, current address is H.No. 313/10, Thanehra Mohalla, Mandi and permanent address Ward No. 1, V.P.O. Bharwain, Teh. Amb, District Una (H. P.) and Smt. Alisha d/o Sh. Mohammad Nisar, r/o H. No. 158/3, Jail Road Mandi Town, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H. P.) (at present wife of Sh. Ankush Sharma s/o Sh. Ganesh Dutt, who is working as a store manager UCB Store, ESS GEE Trendz Retail Pvt. Ltd. At 11/8, Sahib Comlex Mandi Town, current address is H.No. 313/10, Thanehra Mohalla, Mandi and permanent address Ward No. 1, V.P.O. Bharwain, Teh. Amb, District Una (H. P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 21-03-2024 according to Sikh rites and customs at Gurudwara Sri Bhaini Sahib Ludhiana Punjab and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person, who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 24-04-2024 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 23rd day of March, 2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Sadar, District Mandi (H.P.).

सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी) तहसीलदार, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : 06 / 2024   तारीख मरजुआ : 23—02—2024   तारीख पेशी : 26—04—2024

श्री रतन लाल पुत्र श्री भलखु राम, निवासी तरयाम्बला, डाकघर लौगणी, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी उपरोक्त प्रार्थना—पत्र इस न्यायालय में इस आशय से प्रस्तुत किया कि उसका सही नाम रतन लाल है परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल तरयाम्बला में गलती से रतन दर्ज है प्रार्थी ने अपने प्रार्थना—पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी आधार प्रति शपथ—पत्र व पैंशन सेवा निवृत्त प्रमाण—पत्र साथ संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारा कोई उजर / एतराज हो तो दिनांक 26—04—2024 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है व सुरत गैर हाजिरी में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 26—03—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी),
धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मुकद्दमा शीर्षक

श्रीमती वीना देवी पुत्री रोशन लाल, निवासी हलौन, डाकघर कमलाह, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

ईशताहार मुस्त्री मनादी / राजपत्र हिमाचल प्रदेश।

प्रार्थना–पत्र बराये जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में वीना देवी पुत्री रोशन लाल, निवासी हलौन, डाकघर कमलाह, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फी व अप्राप्यता प्रमाण–पत्र स्थानीय पंजियक / जन्म प्रमाण–पत्र प्रधान ग्राम पंचायत प्रस्तुत किया है उसका जन्म दिनांक 14–05–1976 को हुआ है किन्हीं कारण वश उसका जन्म ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त तिथि 14–05–1976 दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो असालतन वकालतन पेशी दिनांक 26–04–2024 प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर तिथि दर्ज करके आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26–03–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार धर्मपुर),
जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Preeti d/o Bhagwan Dass, w/o Vijay Kumar, r/o House No. 182/7, Mohalla Gunughat, Nahan, District Sirmaur (H.P.) declare that my name has been wrongly recorded as Parul Tomar in my aadhar Card and Pan Card which is required to be corrected as Preeti.

PREETI
d/o Bhagwan Dass,
w/o Vijay Kumar, r/o House No. 182/7,
Mohalla Gunughat, Nahan, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Shiwali Uppal w/o Sunny Patial, r/o Village and Post Office Bindraban, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Shiwali Patial to Shiwali Uppal. Concerned please note.

SHIWALI UPPAL,
w/o Sunny Patial,
r/o Village and Post Office Bindraban,
Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला—5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।